न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 01/2025 FSSA

1. सरकार जरिये मुकेश प्रजापत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा।

आवेदक–

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरि मोहन गुप्ता (एफबीओ) मैसर्स :– मुकेश एंटरप्राइजेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया, तहसील बांदीकुई जिला दौसा, निवासी – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड अरनिया, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : श्री महेश कुमार सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

–::आदेश::– दिनांकः–25.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.10.2024 को दोपहर 10.35 बजे मुकेश एंटरप्राइजेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया, तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फर्म पर विक्रेता श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरि मोहन गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एलुमीनियम के ड्रम में लगभग 20 कि.ग्रा. मात्रा में सरसों तेल खुला (Mustard oil Loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 1.600 कि.ग्रा. सरसों तेल खुला (Mustard oil Loose) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दी, जिसकी कीमत 248 रूपये नगद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 1.600 कि.ग्रा. सरसों तेल खुला (Mustard oil Loose) को चार साफ सूखी एवं खोली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–4514 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बॉधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फॉर्म नंबर 5ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फॉर्म नंबर 5ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद द्वारा दिनांक 18.10.2024 को खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.10.2024 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.10.2024 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4260/एक्ट/ 2024/4159 दिनांक 28.10.2024 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के जरिये प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) का नमूना नियम संख्या 2.3.15(1)(b) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल उपस्थित हुए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4260/एक्ट/ 2024/4159 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) के नमूने की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ का खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण नियम संख्या 2.3.15(1)(b) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (**Mustard Oil Loose**) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। प्रार्थी द्वारा ग्राहको की मांग के अनुसार सरसो तेल के पैक पीपे को खोलकर सरसों का तेल विक्रय किया जाता है। सरसों के तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा के नियमो की जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में प्रार्थी द्वारा सरसों तेल खुला का विक्रय किया गया है परन्तु किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। भविष्य में खाद्य सामग्री का खुली अवस्था में प्रार्थी द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का श्रम करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01 / 2025 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./4260/एक्ट/ 2024/4159 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का खुली अवस्था में विक्रय किये जाने के कारण यह नमूना नियम संख्या 2.3.15(1)(b) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन होना पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिमोहन गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– मुकेश एंटरप्राइजेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया तहसील बांदीकुई, निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा पर 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 25.3.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.3.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

दिनांकः– 01.04.2026

कमांक/FSSA/ 2026/624-26

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिमोहन गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– मुकेश एंटरप्राइजेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया तहसील बांदीकुई, निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोड, बस स्टैण्ड, अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

25/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा